न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 08/2021 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राज्य सरकार जरिये सत्यप्रकाश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, रावतसर।
—प्रार्थी

बनाम

शिशपाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
—अप्रार्थी

उपस्थितः–1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.।
2. अप्रार्थी गैर हाजिर।

निर्णय

दिनांकः–12.06.2024

राजस्थान राज्य जरिये सत्यप्रकाश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, रावतसर द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.11 को श्री सत्यनारायण एएसआई रावतसर की सूचना पर श्री बजरंगलाल मीणा नायब तहसीलदार (प्रवर्तन निरीक्षक), रावतसर पुलिस थाने में पहुंचे। जहाँ उनके द्वारा वाहन सं. टाटा 407 आरजे 10 जी 0837 की जांच की गई जिसमें गेहूं के कटटे लदे हुये थे। उक्त वाहन में सवार श्री संतराम पुत्र श्री पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी से श्री बजरंगलाल मीणा द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि वह इस गेहूं को ग्राम खेदासरी के डीलर शिशपाल के यहां से इस टाटा 407 में भरकर लाया हूं व शिशपाल ने मुझे रावतसर भादू पेट्रोल पम्प के पास खड़े रहने को कहा है, जहां वह आयेगा। टाटा 407 के ड्राईवर श्री मगाराम पुत्र उदाराम मेघवाल निवासी खेदासरी द्वारा भी ब्यानों में यह गेहूं खेदासरी के डीलर शिशपाल का होना बताया। उक्त ब्यानों के आधारों पर 22 कट्टे कुछ खुला गेहूं जिनकी मात्रा 19 क्विंटल 50 किलो है, को अवैध रूप से परिवहन कर रावतसर लाने पर श्री बजरंगलाल मीणा नायब तहसीलदार (प्रवर्तन निरीक्षक), रावतसर द्वारा वजह सबूत जब्त किया गया एवं श्री हंसराज पुत्र गोपाल राम अस्थाई डीलर ग्राम पंचायत चाईया की सुपुर्दगी में रखने हेतु दिया गया। उक्त दुकान की दिनांक 10.11.11 को जांच करने पर डीलर शिशपाल नहीं मिला एवं उपस्थित डीलर के पिता द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया। दुकान सील की गई एवं बाद में भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया एवं डीलर शिशपाल नहीं मिला। जब्त किये गये गेहूं के लिए प्रवर्तन निरीक्षक रावतसर (नायब तहसीलदार), द्वारा पुलिस थाना रावतसर में एफआईआर सं० 537 दिनांक 19.11.11 शिशपाल के विरूद्ध दर्ज करवायी हैं। इस प्रकार श्री शिशपाल उचित मूलय दुकानदार ग्राम पंचायत खेदासरी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश ... क्लॉज 6 एवं जारी प्राधिकार की शर्त सं० 5, 10, 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया ... आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध ... अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर उक्त जब्तशुदा गेहूं को राजसात करने का निवेदन किया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:21:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि... किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा गेहूं को अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता क्योंकि अधिक समय तक गेहूं रखे जाने से खराब व नष्ट

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को जब्तशुदा गेहूं मय बारदाना का अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 29.11.2011 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी होने के बाद विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। दिनांक 19.12.2011 को प्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुआ व दिनांक 28.12.2012 को जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त एफ.आई.आर.सं० 537/2011 प्रार्थी के विरूद्ध रंजिशवश झूठी दर्ज करवाई गई है। प्रार्थी के गांव की ही विरोधी पार्टी द्वारा प्रार्थी को रंजिशवश झूठा फंसाया गया हैं क्योंकि इससे दो माह पूर्व एक दूसरी पार्टी पर मुकदमे बाजी हुई थी। विरोधी पार्टी के विरूद्ध दो माह पूर्व पुलिस थाना रावतसर में एफ.आई. आर सं0 418/2011 इन्द्रा देवी द्वारा दर्ज हुई थी जिसके दौरान विरोधी पार्टी द्वारा प्रार्थी पर झूठी एफ.आई.आर. 419/2011 दर्ज करवाई गई। एफ.आई.आर. सं0 418/2011 में श्री सत्यनारायण शर्मा ए.एस.आई. रावतसर द्वारा जांच सही नहीं करने पर व एस.पी. महोदय के आदेशानुसार तफ्तीश परिवर्तित करवाने पर पुलिस थाना रावतसर के अधिकारीगण व सत्यनारायण शर्मा ए.एस.आई. आदि प्रार्थी से रंजिश रखने लगे। प्रार्थी के साथ पूर्व की रंजिशबाजी को लेकर विरोधी पार्टी द्वारा रावतसर पुलिस को झूठी सूचना देकर व राजनैतिक दवाब डलवाकर झूठा मुकदमा तैयार किया गया है। प्रार्थी का एफ.आई.आर सं० 537/2011 पुलिस थाना रावतसर से कोई संबंध नहीं है। एफ.आई.आर सं० 537/2011 में मुझ प्रार्थी के नाम से व डिपो से गेहूं लदान करवाना बताया है जबकि प्रार्थी दिनांक 09.11.2011 को खेदासरी गांव में नहीं था बल्कि दिनांक 07.11.2011 से ही जयपुर में भाई के इलाज के लिए गया हुआ था। नायब तहसीलदार, रावतसर ने दिनांक 10.11.2011 को बिना भौतिक सत्यापन किए उक्त माल प्रार्थी का मान लिया जो गलत व निराधार है। नायब तहसीलदार, रावतसर द्वारा प्रार्थी के घर में बनी उचित मूल्य की दुकान को जांच करने के बावजूद भी कुछ समय के लिए किराये पर लिए हुए गोदाम को सील्ड किया जो अनुचित है। मुझ प्रार्थी का दिनांक 10.11.2011 को उचित मूल्य की दुकान, खेदासरी में न मिलना, मोबाइल स्विच ऑफ मिलना तथा गोदाम के ताला लगा होना, से मात्र सन्देह कर क्या अन्तर्गत धारा 6बी के अन्तर्गत आता है जो यह मुकदमा दर्ज करवाया है जबकि प्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान में माल स्टॉक रजिस्टर अनुबंध में आता है। श्री सत्यनारायण ए.एस. आई. द्वारा प्रार्थी को झूठा व वेबुनियाद तरीके से फंसाने बाबत् इस कहानी को अंजाम दिया व नायब तहसीलदार को पुलिस थाना, रावतसर में झूठी सूचना देकर बुलाया व मनगढ़त कहानी को अन्तिम रूप दिया जो प्रार्थी के साथ न्यायोचित नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक रावतसर द्वारा दिनांक 19.11.2011 को प्रार्थी के विरूद्ध एफ.आई.आर सं० 537/2011 दर्ज करवाई जो झूठी व कानून के विपरीत है। बिना भौतिक सत्यापन के व सन्देह के आधार पर एफ.आई. आर. दर्ज करवाना गलत है। श्रीमान तहसीलदार, रावतसर द्वारा जांच व भौतिक सत्यापन करने हेतु बतलाने पर नई दुकान की सूचना देना व नक्शा प्रस्तुत करना कहा गया है जबकि प्रार्थी की कोई नई दुकान नहीं ... की दुकान की रिपेयरिंग करने बाबत् कुछ समय तक गोदाम किराये पर सामान ... लिया था। बिना भौतिक सत्यापन व बिना जांच के शिशपाल की ... गेहूं मानना सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के कहने मात्र से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जबकि प्रार्थी का तमाम गेहूं प्रार्थी के घर बनी उचित मूल्य की दुकान में ही था। फर्द मौका पर दिनांक 10.11.2011 को डीलर की अनुपस्थिति में बिना जांच व भौतिक सत्यापन किए अस्थाई रूप से किराये पर लिये अनाज के कमरे को सील्ड करना व गवाहों के अंगूठे लगवाना सरासर गलत है। विधि के विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karta Ram
Date: 2024.10.10 11:21:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जब प्रार्थी अनुपस्थित था तो प्रार्थी के पिता या घर के अन्य सदस्यों के, मौके पर गए हुए अधिकारीगण द्वारा कहीं भी हस्ताक्षर क्यों नहीं करवाए गए। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौके पर जब्त किया गया माल प्रार्थी का नहीं था। अतः श्रीमान जी उचित आदेश फरमावें।

बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खेदासरी पर वितरण हेतु प्राप्त 19 क्विंटल 50 किलो गेहूं को अवैध रूप से परिवहन कर बिक्री हेतु रावतसर लाये जाने पर श्री बजरंगलाल मीणा नायब तहसीलदार (प्रवर्तन निरीक्षक), रावतसर द्वारा वजह सबूत जब्त किया गया है जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लाज 6 एवं जारी प्राधिकार की शर्त सं० 5, 10, 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3/7 के तहत दर्ज प्रकरण सं. 227/2012 में माननीय न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर में अप्रार्थी द्वारा स्वेच्छिक जूर्म स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्ध कर प्रकरण दिनांक 02.11.2022 को निर्णित हो चुका है। अतः जब्तशुदा गेहूं को राज्य पक्ष में राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। अप्रार्थी का उपस्थित नही आना इससे यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी इस प्रकरण में यथा जबाव देही नहीं रखता है। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव में बताया है कि एफ.आई.आर सं० 537/2011 में मुझ प्रार्थी के नाम से व डिपो से गेहूं लदान करवाना बताया है जबकि प्रार्थी दिनांक 09.11.2011 को खेदासरी गांव में नहीं था बल्कि दिनांक 07.11.2011 से ही जयपुर में भाई के इलाज के लिए गया हुआ था। नायब तहसीलदार, रावतसर ने दिनांक 10.11.2011 को बिना भौतिक सत्यापन किए उक्त माल प्रार्थी का मान लिया जो गलत व निराधार है। नायब तहसीलदार, रावतसर द्वारा प्रार्थी के घर में बनी उचित मूल्य की दुकान को जांच करने के बावजूद भी कुछ समय के लिए किराये पर लिए हुए गोदाम को सील्ड किया जो अनुचित है। प्रवर्तन निरीक्षक रावतसर द्वारा दिनांक 19.11.2011 को प्रार्थी के विरूद्ध एफ.आई.आर सं० 537/2011 दर्ज करवाई जो झूठी व कानून के विपरीत है। श्रीमान तहसीलदार, रावतसर द्वारा जांच व भौतिक सत्यापन करने हेतु बतलाने पर नई दुकान की सूचना देना व नक्शा प्रस्तुत करना कहा गया है जबकि प्रार्थी की कोई नई दुकान नहीं थी। फर्द मौका पर दिनांक 10.11.2011 को डीलर की अनुपस्थिति में बिना जांच व भौतिक सत्यापन किए अस्थाई रूप से किराये पर लिये अनाज के कमरे को सील्ड करना व गवाहों के अंगूठे लगवाना सरासर गलत है।

पत्रावली पर उपलब्ध जांच दल की फर्द जांच व सलंग्न गवाहों के ब्यान का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया 19 क्विंटल 50 किलो गेहूं को अवैध रूप से परिवहन कर बिक्री हेतु रावतसर लाये जाने पर श्री बजरंगलाल मीणा नायब तहसीलदार (प्रवर्तन निरीक्षक), रावतसर द्वारा वजह सबूत जब्त करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव के साथ ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रश्नगत गेहूं उसका नहीं है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाव में जो कथन किये हैं वे After Thought होने के कारण मानने योग्य नहीं है। अप्रार्थी से जांच के समय नायब तहसीलदार (प्रवर्तन निरीक्षक), रावतसर द्वारा द्वारा 19 क्विंटल 50 किलो गेहूं के साथ वाहन सं. आरजे 10 जी 0837 वजह सबूत जब्त किया गया हैं। जांच रिपोर्ट द्वारा नायब तहसीलदार रावतसर दिनांक 11.11.2011 अनुसार ग्राम वालों से पूछताछ के आधार पर व उनके द्वारा बताई गई उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद मिली व दुकान पर बोर्ड आदि कुछ भी नहीं लिखा था एवं उचित मूल्य दुकानदार ने नई दुकान लेने की सूचना व नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया आदि तथ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:21:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सिद्ध करते है कि अप्रार्थी एक और तो बिना सूचना व नक्शा प्रस्तुत किये नई दुकान में वितरण करना और जांच में सहयोग नहीं करना व जब्तशुदा गेहूं के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्य मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (स्टेट) का स्वीकार किया जाता है। विचाराधीन प्रकरण में जब्तशुदा गेहूं की सुपुर्दगी लेने बाबत प्रार्थी दलीप कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2012 इसी स्टेज पर अस्वीकार किया जाता है। अतः जब्तशुदा गेहूं को न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 29.11.2011 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:21:52 IST
Reason: SelfAttested